न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 41/2019

तेजसिंह पुत्र नेकसिंह जाति गोला निवासी खेरिया–बिलौच्च तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थानं सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 09.04.2019 व मुकदमा रिपोर्ट पटवारी बनाम तेजसिंह मि0न0 08/2018 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थित :– 1. श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 06.01.2022

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 09.04.2019 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलान्ट को ग्राम खेरिया बिल्लौच की आराजी खसरा नम्बर 594 रकवा 8 वीघा 7 विस्वा में से 0.04 विस्वा पर अतिक्रमी मानकर बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर
तेजसिंह बनाम सरकार
अपील संख्या 41/2019

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यो के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्ट की स्वयं की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 595 की डौल–मेड खसरा नम्बर 594 से मिलती जुलती है। अपीलान्ट का आराजी खसरा नम्बर 594 पर कोई रबी की फसल नहीं बोई है। अधीनस्थ न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 28.03.2019 को तहसीलदार रूपवास को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया था कि अपीलान्ट के खातेदारी के खसरा नम्बर 595 की नाप स्वयं तहसीलदार अपनी उपस्थिति में करावे, यदि अपीलान्ट का कोई कब्जा हो तो उसे व तुरन्त हटा लेगा परन्तु तहसीलदार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और अपीलान्ट की इस प्रार्थना पत्र पर कोई विचारण किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर बेदखली व पैनल्टी का आदेश पारित कर दिया। उन्होने यह भी जाहिर किया कि आराजी खसरा नम्बर 594 गैरमुमकिन रास्ता में शुरूआत मे कोकसिंह व भगवानसिंह लठैत व्यक्तियों ने पक्का निर्माण कर रखा है, इसे धर्मशाला के नाम से पुकारते है जबकि धर्मशाला नाम की कोई स्थिति वहां पर नहीं है। यह लोग इसे निजी काम में लेते है, आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है और न ही यह सार्वजनिक हित के काम आती है। पटवारी हल्का इनका दोस्त है और उनका पटवारी के यहां आना जाना खाना–पीना–सोना है। इस कारण इस धर्मशाला को बचाकर हमारे खसरा नम्बर 595 में 594 का रकवा बढाकर हमारा अतिक्रमण बताया है जो बिल्कुल गलत है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि पटवारी हल्का ने ग्राम की राजनैतिक वैमनस्यता के वशीभूत होकर अपीलान्ट के विरूद्ध अपीलान्ट के विरूद्ध यह झूठी रिपोर्ट पेश की है। क्योकि अपीलान्ट ने कई बार कोकसिंह व भगवानसिंह की इस अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई धर्मशाला की शिकायत की थी इस कारण पटवारी ने अपनी दोस्ती निभाते हुये कोकसिंह व भगवानसिंह के द्वारा अतिक्रमण करके खसरा नम्बर 594

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

में तथाकथित धर्मशाला को बचाने के लिये हमारे विरूद्ध रिपोर्ट पेश की है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को कई बार धमकी दी है कि खसरा नम्बर 594 में अतिक्रमण करके बनाये गये मकानात के बारे में शिकायत मत कर नहीं तो तेरी खातेदारी की भूमि को तुझसे छीन लूंगा। दिनांक 03.04.2019 को अपीलान्ट के अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश किया था उस तहसीलदार ने यह कहां कि हम इसे देख लेगें और आगामी तारीख पेशी अपीलान्ट को नहीं दी गई इसके बाद कई बार तहसील के चक्कर भी लगाये लेकिन कोई संतोषजनक जबाब नहीं मिला। दिनांक 08.05.2019 को पटवारी हल्का ने घर पर आकर धमकी दी कि अपना कब्जा हटा ले क्योकि तहसीलदार ने बेदखली व पैनल्टी के आदेश दिये है। अपीलान्ट उसी दिन तहसील गया व जांच की तो सही पाया, तो तुरंत प्रभाव से उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल तैयार होकर दिनांक 10.05.2019 को प्राप्त हुई तब उसे पढकर असल जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम को प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर न किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। ना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना कर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2019 के द्वारा अपीलान्ट को विवादित आराजी सरा नम्बर 594 वाकै ग्राम खेरिया बिल्लौच रकवा 8 वीघा 17 विस्वा में से 0.04 विस्वा पर तिकमी मानते हुये बेदखली एवं पैनल्टी कायम की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का वलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने दिनांक 03.04.2019 को विवादित भूमि की माईश कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई भी ार्यवाही नहीं की है और न ही पत्रावली में पैमाईश के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ोजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। उक्त प्रकरण में विधिवत ॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार निर्णय किये जाने हेतु तहसीलदार रूपवास को तिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार रूपवास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रूपवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे प्रकरण में विधिवत जॉच कर विधि में दी गई प्रक्रिया अनुसार पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहसीलदार भुसावर से प्राप्त तहत पत्रावली वापिस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)